पन्नालाल v/s नगर विकास न्यास

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-1-23	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता स्वः श्री गीधा पुत्र चांदा कौम मेघवाल निवासी बीकानेर लालगढ स्टेशन नया बास रामपुरा के नाम से खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 1341/159 तादादी 50 बीघा वाके ग्राम चकगर्बी तहसील व जिला बीकानेर में स्थित है। अपीलांट के पिता का देहान्त हो चुकी है व देहांत होने के पश्चात अपीलांट के नाम से विरासतन इंतकाल सं. 750 दर्ज हो चुका है। इस प्रकार अपीलांट स्वः गीधा का कानूनी तन्हा वारिस होने के नाते उपरोक्त जायदाद का एकमात्र मालिक व काबिज हुआ। रेस्पोडेन्ट का अपीलांट की उक्त कृषि भूमि से कोई लेना–देना नही है फिर भी रेस्पोडेन्ट नगर विकास न्यास अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि से बेदखल करने व कब्जा करने की धमकी देने पर अपीलांट द्वारा अदालत माहतह के समक्ष धारा 188 एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 01–06–2022 को अपीलांट के पक्ष में एकतरफा तौर विवादित कृषि भूमि के बाबत यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये तथा आगामी तारीख पेशी 27–07–2022 नियत की गई। अदालत मातहत द्वारा पूर्व नियत दिनांक 27–07–2022 से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट के दिनांक 08–06–2022 को उपस्थित आने पर अपीलांट को सुनवाई व सबुत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01–06–2022 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रकरण में दोनो पक्षो को सुनकर ही कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आदेश को खारिज करने का मुख्य आधार राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16–06–1976 को लिया गया है। उक्त अधिसूचना अपीलांट के प्रकरण पर लागू होती है या नही इस आशय के बाबत अपीलांट को सूनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का आदेश जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया गया आदेश है। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि अपीलाधीन आदेश	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की आड़ में अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया गया अथवा मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया तो अपील का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम चकगर्बी के खेत खसरा नंबर 1341/159 तादादी 50 बीघा भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा दिनांक 01–06–2022 को एकतरफा तौर पर प्राप्त अस्थाई निषेधाज्ञा को रेस्पोडेन्ट सं. 1 के उपस्थित आने पर व वादग्रस्त भूमि के बाबत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16–06–1976 जिसके माध्यम से आराजी जैर को अरबन ऐरिया घोषित किया गया है के आधार पर खारिज करते हुए यह अभिलिखित किया गया है कि प्रकरण में दोनो पक्षो को सुनकर ही कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा। चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष जैरकार धारा 212 आरटीए के प्रार्थना–पत्र पर विस्तृत निर्णय अर्थात् वादग्रस्त भूमि पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू पर पारित किया जाना शेष है ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रस्तुत अपील के माध्यम से वादग्रस्त भूमि के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम चकगर्बी के खेत खसरा नंबर 1341/159 तादादी 50 बीघा भूमि के बाबत् धोषणात्मक वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 01–06–2022 को अपीलांट् के हक में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, जिसे नगर विकास न्यास के उपस्थित आने पर दिनांक 01–06–2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति की मांग की गई है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि प्रकरण में दोनो पक्षो

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

को सुनकर ही कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा। चूंकि अदालत मातहत के समक्ष सभी पक्ष उपस्थित आ चुके है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर गुणावगुण पर निर्णय होना शेष है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/रेस्पोडेन्ट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया जाना शेष होने अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं पाते है। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष जैरकार धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

18-1-2023

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर